न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./12/2023/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
स्व. मूलसिंह पुत्र किशनसिंह के का. मु.– 1. नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह 2. राजूसिंह पुत्र मूलसिंह 2/1. पृथ्वीराजसिंह पुत्र राजूसिंह 2/2. चन्द्रवीरसिंह पुत्र राजूसिंह 2/3. अंतरकंवर पत्नी राजूसिंह 3. लक्ष्मणसिंह पुत्र मूलसिंह 4. कमलकंवर पत्नी स्व. मूलसिंह 5. स्व. बेरीसालसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह के का. मु. 5/1. उगमकंवर पत्नी बेरीसालसिंह 5/2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 5/3. शेरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह अपीलांट संख्या 5/2 व 5/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता उगमकंवर पत्नी बेरीसालसिंह जातियान राजपूत निवासी कुण्डा तहसील फतेहगढ़. जिला जैसलमेर.	स्व. राजकंवर के का. मुकाम – 1. रेखाकंवर पुत्री राजकंवर निवासी कुण्डा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर हाल सी.वी.सिंह कॉलानी, जैसलमेर 2. रूपकंवर पुत्री स्व. राजकंवर पत्नी मनोहरसिंह निवासी कांखी (सिवाना) हाल सी.वी. सिंह कॉलानी, जैसलमेर 3. सवाईसिंह पुत्र राजकंवर निवासी कुण्डा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर हाल सी.वी.सिंह कॉलोनी, जैसलमेर 4. कमलसिंह पुत्र जामतसिंह 5. गंगासिंह पुत्र हुकमसिंह 6. पृथ्वीसिंह पुत्र चंदनसिंह 7. लेखराजसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासीयान भाडली तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 8. सुमेरमल पुत्र नखताराम जाति सुथार निवासी भाडली तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 9. राजबाला पत्नी विक्रमसिंह जाति यादव 10. विक्रमसिंह पुत्र बलवन्तसिंह यादव निवासी तिहली पोस्ट मंडवा तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34/2021 बअनवान मूलसिंह के का. मुं. वगैरह बनाम राजकंवर के का. मु. वगैरह में पारित आदेश दिनांक 14.12.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामस्वरूप भाटी रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांकः— 15.07.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स (वादीगण) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी प्रस्तुत किया था, जो राजस्व आवेदन संख्या 34/2021 है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 08.11.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट्स) को आगामी पेशी तक पांबद किया कि वे मौजा कुण्डा के खसरा संख्या 268, 276, 312 रकबा क्रमशः 10.15 बीघा, 125.04 बीघा, 41.14 बीघा कुल रकबा 178.03 बीघा व खसरा संख्या 65 रकबा 97.13 बीघा, खसरा संख्या 67 रकबा 153.03 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 43.06 बीघा एवं मौजा निम्बली के खसरा संख्या 75 रकबा 109.02 बीघा भूमि के मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। परन्तु दिनांक 13.12.2023 को पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा दिनांक 14.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा कुण्डा के खसरा संख्या 268, 276, 312 रकबा क्रमशः 10.15 बीघा, 125.04 बीघा, 41.14 बीघा कुल रकबा 178.03 बीघा व खसरा संख्या 65 रकबा 97.13 बीघा, खसरा संख्या 67 रकबा 153.03 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 43.06 बीघा एवं मौजा निम्बली के खसरा संख्या 75 रकबा 109.02 बीघा आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर अपीलांट्स के पक्ष में दिनांक 08.11.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा जरिये विप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट्स) को आगामी पेशी तक पांबद किया था। किन्तु दिनांक 14.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट/प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अंतरिम स्थगनं आदेश बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया। जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की भूमि के बीच सेढें पर पुरानी माठे एवं सीमा चिन्ह् बने हुए हैं। लेकिन विप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट उक्त माठों को तोड़कर क़ब्जा करने एवं प्रार्थी/अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हैं, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर प्रार्थी/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि में पुरानी माठों को तोड़कर पट्टियां रोपकर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उत्तरदातागण अपीलांट्स के वर्तमान मौके पर स्थित सेढे व माठ की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 09 व 10 की ओर से बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं। उतरदातागण रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश वकील उभयपक्ष को सुनने के बाद ही जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फरमाई जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. RRT 2001(2) Page No-1261 to 1265 BOARD OF REVENUE FOR RAJ.
2. RRT 2003(2) Page No-1034 to 1038 BOARD OF REVENUE FOR RAJ.
3. RRT 2010(2) Page No-1210 to 1215 RAJASTHAN HIGH COURT
4. RRT 2010(2) Page No-1392 to 1395 BOARD OF REVENUE FOR RAJ.
5. RRT 2022(2) Page No-807 to 810 BOARD OF REVENUE FOR RAJ.

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभय पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 43/2021 बअनवान अर्जुनसिंह वगैरह बनाम गोरधनसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 को निरस्त किया जाता है तथा मौजा कुण्डा के ख़सरा संख्या 268, 276, 312 रकबा क्रमशः 10.15 बीघा, 125.04 बीघा, 41.14 बीघा कुल रकबा 178.03 बीघा व खसरा संख्या 65 रकबा 97.13 बीघा, खसरा संख्या 67 रकबा 153.03 बीघा, खसरा संख्या 247 रकबा 43.06 बीघा एवं मौजा निम्बली के खसरा संख्या 75 रकबा 109.02 बीघा भूमि के वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के हेतु उत्तरदातागण को पाबंद

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाता है। उक्त आदेश को मूल वाद्र के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर